Vol III Issue I Feb 2013
Impact Factor : 0.2105
ISSN No : 2230-7850

Monthly Multidisciplinary
Research Journal

Indian Streams Research Journal

Executive Editor
Ashok Yakkaldevi

Editor-in-chief
H.N.Jagtap

IMPACT FACTOR : 0.2105

Welcome to ISRJ

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2230-7850**

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial Board readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

International Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Kamani Perera
Regional Centre For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya [Malaysia]

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus Pop

Mohammad Hailat
Dept. of Mathmatical Sciences, University of South Carolina Aiken, Aiken SC 29801

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Catalina Neculai
University of Coventry, UK

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Postdoctoral Researcher

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Department of Chemistry, Lahore University of Management Sciences [PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Horia Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

Nawab Ali Khan
College of Business Administration

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University, Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University, Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary, Play India Play (Trust),Meerut

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU, Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Ph.D , Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.isrj.net

Indian Streams Research Journal
Volume 3, Issue.1,Feb. 2013
ISSN:-2230-7850
Available online at www.isrj.net

ORIGINAL ARTICLE

सूचना का अधकार अधिनियम 2005 भ्रष्टाचार को रोकने में सक्षम एक अथ्ययन

विश्वास चौहान. कुसुम चैहान

भू . पू . प्राचार्य सतपुडा लॉ कॉलेज छिंदवाडा सहा . प्राध्यापक स्टेत लॉ कॉलेज भोपाल
प्राचार्य एमवी खालसा विधि महाविद्यालय इंदौर

सारांश

सूचना का अधिकार अधिनियम **2005** में लागू होने के वाद के **6** वर्षो में भ्रष्टाचार को रोकने में सक्षम रहा है | पिढले पांच वर्षो में काफी लोग यह तो जान गए हैं कि सूचना प्राप्त करने का कोई अधिकार हे पर ज्यादातर अभी भी नहीं जानते कि सूचना कैसे मिलती है और कैसे मिलती है और उसके लिए क्या प्रावधान हैं | उसके वाद अनेक सर्वे रिपोर्ट और अनुसंधान से यह स्पष्ट हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम **2005** भ्रष्टाचार को रोकने में सक्षम रहा है लेकिन फिर भी यह है कि इस अधिनियम में यदि कुछ सुधार कर दिये जाये तो इसे और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है और रिश्वतखोरी तथा भ्रष्टाचार को रोकने का प्रतिशत वढाया जा सकता है एवं सूचना का अधिकार कानून को लागू हुए **6** साल वति गए है यह कानून भारत में **13** अक्टूवर **2005** में लागू हुआ | अपने अस्तित्व में आने के वाद इस कानून ने पारदर्शिता और जवावदेही की एक नई इवारत लिखी | देश में भ्रष्टाचार को रोकने और समाप्त करने में इस कदम को प्रभावी कदम के तोर पर देखा जा रहा है | यह कानून आम नागरिकों को सभी सरकारी रिकार्डे और प्रपत्रों में दर्ज जानकारी को देखने ओर उसे प्राप्त करने का अधिकार देता है | आम आदमी से सरोकार रखने वाली योजनाओं और नीतियों और कार्य क्रमों में क्या चल रहा है इसकी जानकारी पाने का हकदार आज हर नागरिक है नगर गंभीरता का अभाव आज कानून की धारा को कुंद वना रहा है |

प्रस्तावना

भारत के संसद द्वारा पारित एक कानून है जो **12** अक्टूवर **2005** को लागू हुआ | **(15** जून **2005** को इसके कानून वनन के **120** वें दिन) | भारत में भ्रष्टाचार को रोकने और समाप्त करने के लिए इसे वहुत ही प्रभावी कदम वताया जाता है | इस नियम के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को सरकारी रिकार्डो और प्रपत्रों में दर्ज सूचना को देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है | जम्मू एवं काश्मीर में यह जम्मू एवं काश्मीर सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लागू है एवं संविधान के अनुच्छेद **19 (1)** के तहत्अभिव्यक्ति ही स्वतंत्रता एक मूलभूत महत्वपूर्ण अधिकार है जिसे नागरिकों को सरकार से जानकारी प्राप्त करने की गारंटी के रूप में वताया गया है |

लोकतंत्र के लिए एक सूचित नागरिक और सूचना की पारदर्शिता की आवश्यकता है जो इसकी कार्यशैली के लिए अनिवार्य और साथ ही भ्रष्टाचार को रोकने एवं सरकार तथा उनके सभी अंगों की जवावदेही के लिए अनिवार्य है | इस प्रकार भारत सरकार ने लोक प्राधिकारणों के नियंत्रण के तहत्सूचना की सुरक्षित अभिगभ्यता के विचार से प्त्येक लोक प्राधिकरण कार्यशैली में पारदर्शिता और जवावदेही को प्रोत्साहन देने के लिए सूचना का अधिनियम लागू किया है |

अध्ययन का उद्देश्य **(Object)**

क्या विडंवना है कि सन्**2005** में लागू हुए इस कानून को अभी **6** वर्षो का समय ही वीता है कि अव ऐसा लगने लगा है कि लगभग सभी संवंधित शासकीय पक्ष उनके गले की हड्डी वने | इस कानून के लागू होते हुए भी आमजन द्वारा चाही जानकारी उसे न देने के प्रयास में जुटे रहते हैं | विभिन्न प्रान्तों में अनेक प्रकरणों में आवेदकों द्वारा चाही जानकारी उन्हें दे पाने की वात कहकर मामला डाल दिया जाता है |

परिकल्पनाएं **(Hypothises)**

भारत में राजनैतिक एवं नौकरशाही का भ्रष्टाचार वहुत ही व्यापक है किन्तु इसके अलावा न्यायपालिका मीडिया सेना व पुलिस आदि में भी अकल्पनीय भ्रष्टाचार व्याप्त है |

आज यह कटु सत्य है कि किसी भी शहर में नगर निगम में पैसा दिये वगैर कोई मकान वनाने की अनुमति नहीं मिल रही है | इसी प्रकार सामान्य व्यक्ति भी यह मानता चलता है कि किसी भी सरकारी महकमें में पैसा दिये वगैर गाड़ी नहीं चलती | भ्रष्टाचार पिछडेपन का द्योतक है | भ्रष्टाचार का वोलवाला यह दर्शाता है कि जिसे जो करना है वह कुछ देंदिवाकर अपना काम चला लेता है और लोगों को कार्नोकान खवर नहीं होती | होती भी है तो हर व्यक्ति खरीदे जाने के लिए तैयार है | गवाहों का उलट जाना जांचां का अनंतकाल तक चलते रहना | सत्य को सामने न आने देना ये सव एक पिछडे समाज के अति दुखदायी पहलू हैं |

सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल का भ्रष्टाचार जो उजागर करने वाले कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपनी जान से हाथ धोन पडा | सरकार इसे सत्र में इनकी सुरक्षा के लिए कानून लाने जा रही है |

किसी को निर्णय लेने का अधिकार मिलता है तो वह एक या दूसरे पक्ष में निर्णय ले सकता है | यह उसका विवेकाधिकार है और एक सफल लोकतंत्र का

Title : सूचना का अधकार अधिनियम 2005 भ्रष्टाचार को रोकने में सक्षम एक अथ्ययन
Source:Indian Streams Research Journal [2230-7850] विश्वास चौहान. कुसुम चैहान **yr:2013 vol:3 iss:1**

लक्षण भी हैं परन्तु जव यह विवेकाधिकार वस्तुपरक न होकर दूसरे कारण के आधार पर इस्तेमाल किया जाता है तव यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में आ जाता है अथवा इसे करने वाला व्यक्ति भ्रष्ट कहलाता है | किसी निर्णय को जव कोई शासकीय अधिकारी धन पर अथवा अन्य किसी लालच के कारण करता है तो भ्रष्टाचार कहलाता है | भ्रष्टाचार के संवंध में हाल ही के वर्षो में जागरूकता वहुत वढ़ी हैं |

अनुसंधान विधि और तकनीक (Research Method/Technique)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भ्रष्टाचार को रोकने में सक्षम रहा है कि समस्या का विश्लेषण कर परिकल्पना निर्मित की गयी उन परिकल्पनाओं का शोध की अन्वेषण तकनीक के आधार पर समस्या से संवंधित तथ्यों की जांच और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिशा में किये गये सर्वे के निष्कर्ष विन्दुओं का अध्ययन उपलव्ध कानून और समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों एवं डेटाओं एवं पीड़ितो से चर्चा उपरांत प्राप्त अन्वेषण विन्दुओं का सर्वे रिपोर्ट तुलनात्मक अध्ययन कर उपरांत निष्कर्ष निकाले गये है एवं उनको परिकल्पनाओं की कसौटी पर कसा गया है जिससे अनुसंधान परिष्कृत रूप में सामने आया है |

आंकड़े और सर्वे रिपोर्ट (Stesstical Dadas & Serve Report)

वर्ष 2008 में दी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने वताया है कि भारत में लगभग 20 करोड की रिश्वत अलर्गअलग लोकसेवकों को ह्यजिसमें न्यायिक सेवा के लोग भी शामिल हैह दी जाती है | उन्ही का यह निष्कर्ष है कि भारत में पुलिस और कर एकत्र करने वाले विभागों में सवसे ज्यादा भ्रष्टाचार है | 2009 में हुए एक सर्वे के मुताविक गांव में 13 फीसदी आवादी और शहरों में 33 फीसदी आवादी इस कानून के वारे में जानकरी रखती है | महिलाओं के मुकावले पुरूषों में इस कानून को लेकर जागरूकता ज्यादा है | वहरहाल सरकार अखवार और टीवी चैनलों के माध्यम से जागरूकता वढ़ा रही है के मुताविक इनकी तादाद 75 फीसदी थी | वुनियादी ढांचे और वजट के अभाव में अकेले केन्द्रीय सूचना आयोग में 2009 में 1982 और 20 . 10 . 2011 में 24071 शिकायतें लंवित पडी है |

केपीएमजी 2011 एक भारतीय भागीदारी और स्वतंत्र सदस्य केपीएमजी इंटरनेशनल (केपीएनजी इंटरनेशनल) एक स्विस संस्था के साथ संवंद्ध कंपनियों के सहकारी नेटवर्क केपीएमजी की एक सदस्य फर्म है | जिसके अभी 2011 के सर्वेक्षण निम्नानुसा तथा सामने आये है |

भ्रष्टाचार का भारत के सकल घरेलू उत्पाद की विकास पर प्रभाव -

भारत में कानून अप्रभावी रहने के प्रमुख कारण -

रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सवसे प्रभावी उपाय -

विश्लेषण (Data Analyses)

केएमजीपी के रिश्वत और भ्रष्टाचार संवंधी सर्वे 2011 के अनुसार 31 प्रतिशत लोग मानते है कि भ्रष्टाचार से देश के विकास 9 प्रतिशत नहीं हो पा रही है और 68 प्रतिशत लोग मानते है कि यदि भ्रष्टाचार कम हो जाये तो इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है |

सर्वेक्षण के अनुसार भारत के सवसे भ्रष्ट उद्योगों में 32 प्रतिशत रियल एस्टेट और निर्माण 17 प्रतिशत दूरसंचार 13 प्रतिशत समाज विकास क्षेत्र (शिक्षाए गरीवी उन्मूलन) 10 प्रतिशत वित्तीय सेवा (वेकिंग वीम़ म्युचुअल फंड आदि) 9 प्रतिशत आर्उटी, आईटीईएस | वीपीओ 6 प्रतिशत ऊर्जा और विजली 5 प्रतिशत रक्षा ओर 9 प्रतिशत अन्य दूसरे उद्योग है | सर्वेक्षन के अनुसार यह तथ्य सामने आया कि इस भ्रष्टाचार के कारणों में 7 प्रतिशत प्रभावित लोगों में कानून की समझ का अभाव जिसके परिणामस्वरूप कानूनी सहारा लेने का कम या कमजोर प्रयास 18 प्रतिशत न्याय में विलम्व 14 प्रतिशत मामलों की जांच में कई एजेंसियों के शामिल होने से तथ्य तक पहुंचने और निर्णयों में देरी 15 प्रतिशत अपराध की पुनरावृत्ति रोकने वाले कडे कानूनों का अभाव 13 प्रतिशत प्रभावित पक्षों द्वारा वदलने का डर 11 प्रतिशत कानून पर विश्वास नहीं होना प्रमुख है |

इस शोध का सवसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सवसे प्रभावी उपायों में से सवसे ज्यादा भ्रष्टाचार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से रूका है तथा भ्रष्टाचार की रोकथाम अधिनियम 1988 से 12 प्रतिशत एसीवीसी के राष्ट्रीय विरोधी रणनीति से 16 प्रतिशत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से 23 प्रतिशत आय टैक्स विभाग और अन्य सरकारी विभागों की कार्यवाही से 14 प्रतिशत केन्द्रीय सतर्कता आयोग के माध्यम से 16 प्रतिशत लोकहित प्रकटीकरणू मुखविर के सहयोग से 19 प्रतिशत भ्रष्टाचार कम हुआ है |

अतः स्पष्ट है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भ्रष्टाचार को रोकने में सक्षम है लेकिन फिर भी इसमें कुछ सुधार की जरूरत है जिससे यह और अधिक कारगर हो सके |

सुझाव (Sugessions)

सूचना का अधिकार कानून को अधिक पुख्ता वनाने के लिए सूचना का अधिकार आंदोलन से जुड़े लोगों को इस वात के लिये केन्द्रीय सरकार पर दवाव डालना चाहिये कि संसद के मार्फत इस कानून में निम्न तीन संशोधन किये जावें -

1)जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपील अधिकारी के दोषी पाये जाने पर जो आर्थिक दण्ड दिया जायेगा उसमें केन्द्रीयू राज्य सूचना आयोगों या न्यायालयों को विवेक के उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं होगा | सूचना देने में जितने दिन का विलम्व किया गया उतने दिन का आर्थिक जुर्माना जन सूचना अधिकारियों और प्रथम अपील अधिकारियों को पृथर्कपृथक समान रूप से अदा करना ही होगा | साथ ही दोषी पाये जाने वाले सभी जन सूचना अधिकारियों और प्रथम अपील अधिकारियों के विरूद्ध भी अनिवार्य रूप से अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा भी की जावेगा | अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा करने का प्रावधान सूचना आयोगों के विवेक पर नहीं छोडा जाना चाहिए | क्योंकि जव सूचना नहीं दी गई है तो इसे सिद्ध करने की कहां जरूरत है कि सूचना नहीं देने वाला जन सूचना अधिकारी अनुशासनहीन है जिसने अपने कर्त्तव्यों का कानून के अनुसार सहीसही पालन नहीं किया है | उस लोक सेवक का ऐसा कृत्य स्वयं में अनुशासनहीनता है जिसके लिए उसे दण्डित किया ही जाना चाहिए | केवल इतना ही नहीं अनुशासनहीनता के मामलों में संवंधित विभाग द्वारा दोषी लोक सेवक के विरूद्ध अधिकतम एक माह के अन्दर निर्णय करके की गयी अनुशासनिक कार्यवाही के वारे में केन्द्रीयू राज्य सूचना आयोग को भी अवगत करवाये जाने की वाध्यकारी व्यवस्था होनी चाहिए | ये व्यवस्था भी हो कि यदि संवंधित विभाग द्वारा एक माह में अनुशासनिक कार्यवाही नहीं की जावें तो एक माह संवंधित सूचना आयोग को विना इंतजार किये सीधे अनुशासनिक कार्यवाही करने का अधिकार दिया जावे जिस पर

सूचना आयोग को अगले एक माह में निर्णय लेना वाध्यकारी हो | इसके अलावा विभाग द्वारा की गयी अनुशासनिक कार्यवाही के निर्णय का सूचना आयोग को पुनरीक्षण करने का भी कानूनी हक होगा |

2)कलकत्ता हाईकोर्ट के एक निर्णय में की गयी व्यवस्था के अनुसार सूचना अधिकार कानून में द्वितीय अपील के निर्णय की समय सीमा अधिकतम **45** दिन निर्धारित किये जाने की तत्काल सख्त जरूरत है |

3)सूचना अधिकार कानून में ही इस प्रकार की दाफ व्यवस्था की जावें कि इस कानून से संवंधित जो भी मामले हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सक्षम प्रस्तुत है उनकी प्रतिदिन सुनवाई हो और अधिकतम **60** दिन के अंदर-अंदर उनक अंतिम निर्णय हो | यदि साठ दिन में न्यायिक निर्णय नहीं हो तो पिछला स्वतः ही कियान्वित हो | कोर्ट के निर्णय के वाद दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरूद्ध जुर्माने के सार्थसाथ कम से कम **9** फीसदी व्याज सहित जुर्माना वसूलने की व्यवस्था भी हो |

यदि सूचना अधिकार आंदोलन से जुडे कार्यकर्ता इन विषयों पर जनचर्चा करें और जगहंजगह इन वातों को प्रचारित करें तो कोई आश्चर्य नहीं कि ये संशोधन जल्दी ही संसद में विचारार्थ प्रस्तुत कर दिये जावें | लेकिन विना वोले और विना संघर्ष के कोई किसी की नहीं सुनता है | अतः वहुत जरूरी है कि इस वारे में लगातर संघर्ष किया जावें और हर हाल में इस प्रकार से संशोधन किये जाने तक संघर्ष जारी रखा जावें |

उपसंहार **(Conclustion)**

प्रारंभ में जव सूचना अधिकार कानून की लडाई लडी जा रही थी तो आम लोगों को इस कानून से भारी उम्मीद थी लेकिन जैसे ही इस कानून से सच्चाई वाहर आती दिखी तो अफरसरशाही ने इस कानून की धार को कुन्द करने के लिये नर्येनये रास्ते खोजना शुरू कर दिये जिसे परोक्ष और अनेक वार प्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका ने भी संरक्षण प्रदान किया है अन्यथा अकेला सूचना का अधिकार कानून ही वहुत वडा वदलाव ला सकता था | एक समय वाहवाही लूटने वाले सत्ताधारी भी इस कानून को लागू करने के निर्णय को लेकर पछताने लगे है | जिसके चलते इस कानून को भोथरा करने के लिये कई वार इसमें संशोधन करने का दुस्साहस करने का असफल प्रयास किया गया जिसे इस देश के लोगों की लोकतांत्रिक शक्ति ने डराकर रोक रखा हैं |

इसके वावजूद भी सूचना का अधिकार अधिनियम **2005** को सही तरह से लागू करने और सच्चे अर्थो में कियान्वित करने के मार्ग में अनेक प्रकार से व्यवधान पैदा किये जा रहे है | सूचना का अीधकार कानून ए क कांतिकारी कदम है जरूरत का इसका कियान्वयन जमीन पर वेहतर तरीके से किया जायें |

संदर्भ ग्रंथ सूची **(Refrences/Biblographi)**

वर्ष **2008** में दी गई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट |
2009 में हुए एक सर्वे के मुताविक जनसत्ता दिनांक **23** सितंवर से |
केन्द्रीय सूचना आयोग में **2009** द्वारा प्रकाशित आंकडे |
केपीएमजी **2011** एक भारतीय भागीदारी और स्वतंत्र सदस्य केपीएमजी इंटरनेशनल ह्यकेपीएमजी इंटरनेशनलह एक स्विस संस्था के साथ संवंध कंपनियों के सहकारी नेटवर्क केपीएमजी की एक सदस्य फर्म हैं जिसके **2011** के सर्वेक्षण |

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished research paper.Summary of Research Project,Theses,Books and Books Review of publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium Scientific
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- Google Scholar
- EBSCO
- DOAJ
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database

Indian Streams Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.net